

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

आप.प्र.क-457 / 13

संस्थित दिनांक-14 / 06 / 2013

फाई.क.234503004882013

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

दिलीप पिता बृजलाल चौकसे, उम्र-50 वर्ष, जाति कलार,
निवासी-ग्राम डोरा, वार्ड नं-15 थाना रूपझर
जिला बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20 / 02 / 2018 को घोषित:-

1- अभियुक्त पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34ए एवं 36ए का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-15.05.2013 को 5:30 बजे शाम ग्राम डोरा थाना क्षेत्र रूपझर में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के अंग्रेजी शराब पी.बी.90एम.एल.40 नग, गोवा 180एम.एल.20 नग, मेक्डाल 07 नग, आई.बी.17 नग, देशी शराब सफेद 180 एम.एल.17 नग, देशी शराब लाल 180एम.एल.30 नग, एक प्लास्टिक मग, कांच के दो गिलास, एक ट्रे खाली, 180एम.एल. देशी पाव 8 नग रखे थे एवं उक्त स्थान को उक्त मदिरा विक्रय हेतु एवं मदिरापान गृह के रूप में उपयोग कर रहे थे।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2013 को जब मनोज कुरील पुलिस चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को गांव के कुछ लोगों ने चौकी आकर मौखिक सूचना दी थी कि खुड्डीपुर डोरा का अभियुक्त दिलीप चौकसे उसके मकान के पीछे आंगन में देशी, विदेशी शराब अवैध रूप से विक्रय कर रहा है। सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सिसौदिया से फोन से मार्गदर्शन कर चौकी से हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक-494, आरक्षक-972, 1199, 1248, 307, 153 को लेकर वार्ड नम्बर-15 जाकर अभियुक्त के मकान की मुखबिर द्वारा बताये अनुसार घेराबंदी कर तलाशी ली थी तो मकान के पिछले आंगन में एक व्यक्ति उसके कब्जे में रखी देशी, विदेशी मदिरा विक्रय करते पाया गया था।

नाम पूछने पर अभियुक्त ने उसका नाम दिलीप चौकसे बताया था। अभियुक्त से लाईसेंस का पूछने पर अभियुक्त के पास शराब बेचने का लाईसेंस नहीं मिला था। उक्त शराब विधिवत गवाह मंगलसिंह, देवेन्द्र चौकसे, रामकिशोर उईके के समक्ष जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना रूपझर ने अपराध क्रमांक-43/2013 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-15.05.2013 को 5:30 बजे शाम ग्राम डोरा थाना क्षेत्र रूपझर में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के अंग्रेजी शराब पी.बी.90एम.एल. 40 नग, गोवा 180एम.एल. 20 नग, मेक्डाल 07 नग, आई.बी.17 नग, देशी शराब सफेद 180 एम.एल. 17 नग, देशी शराब लाल 180 एम.एल. 30 नग, एक प्लास्टिक मग, कांच के दो गिलास, एक ट्रे खाली 180एम.एल. देशी पाव 8 नग रखे थे एवं उक्त स्थान को उक्त मदिरा विक्रय हेतु एवं मदिरापान गृह के रूप में उपयोग कर रहे थे ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- जप्तीकर्ता अधिकारी मनोज कुरील अ.सा.03 का कथन है कि दिनांक 15.05.2013 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने अभियुक्त दिलीप के मकान की बाड़ी में हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ दबिश दी थी। अभियुक्त उसके कब्जे में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के देशी कच्ची शराब एवं अंग्रेजी शराब एवं शराब पिलाने का सामान, प्लास्टिक का मग, गिलास उसके कब्जे में अवैध रूप से रखे हुए पाया था। जिसको गवाहों के समक्ष जप्त कर प्र.पी.01 का जप्ती पंचनामा बनाया था। अभियुक्त को गवाहों के समक्ष प्र.पी.02 के

गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा पर साक्षी के क्रमशः सी से सी भाग पर एवं डी से डी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी.05 के द्वारा उसके परिवारवालों को दी थी। साक्षी ने अभियुक्त को पुलिस चौकी पर लाकर अभियुक्त के विरुद्ध प्र.पी.06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात रिपोर्ट असल कायमी के लिए पुलिस थाना रूपझर भेजी थी जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 43/2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के समय साक्षी ने जप्तशुदा मदिरा का परीक्षण कराया था एवं साक्षीगण मंगलसिंह, देवेन्द्र चौकसे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

7— घटना के जप्ती के साक्षी देवेन्द्र अ.सा.01, मंगलसिंह अ.सा.02 का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। उनके सामने अभियुक्त से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। उनके किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कराये थे। देवेन्द्र अ.सा.01 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। मंगलसिंह को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित सूचक प्रश्न पूछे जाने पर मंगलसिंह ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 पर उसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह डोरा गांव सामान खरीदने गया था। पुलिसवाले उसे चौकी ले गये थे। उनके कहे अनुसार उसने प्र.पी.01 व 02 पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन साक्षी से हस्ताक्षर क्यों करवाये थे साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने जब प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं 02 के गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे तब वह कोरे थे, अभियुक्त वहां पर उपस्थित नहीं था।

8— मन्नूलाल यादव अ.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक 23.05.2013 को आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक लाल बहादुरसिंह क 972 पुलिस चौकी डोरा से साक्षी के पास छः ब्रांड की मदिरा परीक्षण के लिए लेकर आया था तब साक्षी ने नम्बर 1—आई.बी. 180एम.एल., नम्बर 2— एम.डी.180एम.एल, नम्बर 3— गोवा180एम.एल., नम्बर 4— बी.पी.90.एम.एल., नम्बर 5—देशी प्लेन, नम्बर 6— देशी मसाला का परीक्षण किया था। साक्षी के अनुसार नम्बर—1 को देखने पर नमूना 1, 2, 3, 4, 6 में कैरामल दृव्य एवं नमूना—5 रंगहीन दृव्य था। नम्बर—2 को सूंघने पर नमूना

1,2,3,4 की गंध अंग्रेजी शराब की थी। नमूना-5 में देशी प्लेन मदिरा गंध थी तथा नमूना-6 में देशी मसाला की गंध थी। नम्बर-3 को चखने पर नमूना 1, 2,3,4 का स्वाद अंग्रेजी शराब का था। नम्बर-4 नीला लिटमस पेपर डालने पर नमूना-1,2,3,4,5,6 में कोई परिवर्तन नहीं होना पाया था। नम्बर-5 तेजी नमूना 1 आई.बी. की तेजी 26.04 यू.पी., नमूना-2 एम.डी. तेजी 27.02 यू.पी., नमूना-3 गोवा 27.04 यू.पी., नमूना-4 बी.पी.90एम.एल. की तेजी 28.02 यू.पी. नमूना-5 देशी प्लेन की तेजी 57.06 यू.पी. एवं नमूना-6 देशी मसाला की तेजी 27.06 यू.पी. थी। साक्षी ने उक्त मदिरा का परीक्षण कर प्र.पी.07 की परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने शराब की जांच कर नमूना की शराब को सीलबंद कर मय मुद्देमाल के आरक्षक को वापस कर दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा शराब का परीक्षण नहीं किया था प्र.पी.07 की परीक्षण रिपोर्ट झूठी तैयार की थी।

9— अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि प्रकरण के जप्ती पंचनामा के साक्षीगण की साक्ष्य से प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा के साक्षीगण देवेन्द्र अ.सा.01, मंगलसिंह अ.सा.02 ने अभियुक्त से शराब जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है, परंतु देवेन्द्र अ.सा.01 ने प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा एवं मंगलसिंह अ.सा.02 ने प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। प्रकरण के जप्तीकर्ता अधिकारी मनोज कुरील अ.सा.02 ने बचाव पक्ष के इन सुझावों से अस्वीकार किया है कि उनके द्वारा अभियुक्त से जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी एवं प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही के समय साक्षी देवेन्द्र एवं मंगलसिंह उपस्थित नहीं थे। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनके प्रतिपरीक्षण में मुख्यपरीक्षण के विपरीत घटना के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। जप्तीकर्ता अधिकारी पुलिस अधिकारी है इस आधार पर जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना उचित नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं की है कि जप्तीकर्ता अधिकारी की अभियुक्त से कोई रंजिश हो एवं अभियुक्त ने जप्तीकर्ता अधिकारी की उसके वरिष्ठ अधिकारियों को कभी भी कोई शिकायत की हो इस कारण जप्तीकर्ता अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया हो। मन्नुलाल यादव अ.सा.04 की साक्ष्य से एवं प्र.पी.07 की परीक्षण

रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त से जो संपत्ति जप्त हुई थी वह शराब थी। बचाव पक्ष की ओर से जप्तीकर्ता अधिकारी पर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया था। परंतु जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में कोई सारवान खण्डन नहीं हुआ है। जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य घटना के संबंध में अखंडित रही है। इस कारण जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उसके आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के अंग्रेजी शराब पी.बी.90एम.एल. 40 नग, गोवा 180एम.एल. 20 नग, मेक्डाल 07 नग, आई.बी. 17 नग, देशी शराब सफेद 180एम.एल. 17 नग, देशी शराब लाल 180एम.एल. 30 नग, एक प्लास्टिक मग, कांच के दो गिलास, एक ट्रे खाली 180एम.एल. देशी पाव 8 नग रखे थे एवं उक्त स्थान को उक्त मदिरा विक्रय हेतु एवं मदिरापान गृह के रूप में उपयोग किया था।

10— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदहे से परे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34ए एवं 36ए का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34ए एवं 36ए के अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं क्रमशः 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को क्रमशः 15, 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

11— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अंग्रेजी शराब अपील अवधि पश्चात विधिवत आबकारी विभाग को वापस की जावे एवं प्रकरण में जप्तशुदा देशी शराब अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट म.प्र.

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट म.प्र.